14.9.22 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्वाद निष्पादन इस प्रार्थना पत्र के संदर्भ में पेश किया गया है। उक्त प्रकरण का इस दावा का पूर्व में ही निस्तारण हो चुका है अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्वाद निष्पादन का कोई औचित्य नहीं रह जाता है प्रार्थना पत्र अन्तर्वाद निष्पादन का इस दावा विचाराधीन नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्वाद निष्पादन सारहीन होने से खारीज किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्वाद निष्पादन सारहीन होने से खारीज किया जाता है। पत्रावली कैलाश कुमार बोहरा नम्बर 6 कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 11:22:51 IST
Reason: SelfAttested

14.9.22